रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072025-264886
CG-DL-E-23072025-264886

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 21, 2025/आषाढ़ 30, 1947
No. 442] NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 2025/ASHADHA 30, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 485(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा जिस तरीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

पूर्वोवत अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास या ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. शीर्षक एवं प्रारंभ — (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(2) बशर्ते, इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(i) नियम 125ज के अंतर्गत नए उप-नियमों का अंतःस्थापन:

नियम 125ज के उप-नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्:—

"(4) 1 अक्टूबर, 2026 को या उसके बाद, सभी ढुलाई वाले ट्रैक्टर एआईएस-140 के अनुरूप वाहन अवस्थिति (लोकेशन) ट्रैकिंग उपकरण (वीएलटीडी) से सुसज्जित होंगे।

(5) * वीएलटीडी को आईएस 16722:2018 के अनुरूप एक आरएफआईडी ट्रांसीवर के साथ एकीकृत किया जाएगा, जो युग्मित ट्रेलर से आरएफआईडी डेटा को पढ़ने और उसे बैकएंड पर प्रेषित करने में सक्षम होगा।

(6) * सभी ट्रेलरों में आईएस 16722:2018 के अनुसार निष्क्रिय आरएफआईडी टैग लगाए जाएँगे ताकि ट्रैक्टरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक पहचान और युग्मन संभव हो सके।

(7) 1 अप्रैल, 2027 को या उसके बाद, सभी ढुलाई वाले ट्रैक्टरों में महत्वपूर्ण वाहन डेटा को कैप्चर और संग्रहीत करने के लिए एक इवेंट डेटा रिकॉर्डर (ईडीआर) लगाया जाएगा। ईडीआर परिचालन घटनाओं का विश्लेषण करने और सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिए आवश्यक मापदंडों को रिकॉर्ड करने में सक्षम होगा।"

*इस अनुप्रयोग की अपेक्षाओं को समाहित करने के लिए एआईएस 140 और आईएस 16722:2018 को 31 दिसंबर 2025 तक या उससे पहले उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।

(ii) नियम 125घ में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा:

"बशर्ते कि 1 अक्टूबर, 2026 को या उसके बाद-

क .सभी ट्रेलरों में आईएस 9895:2004 के अनुसार 13-पिन या 13-पोल कनेक्टर लगाए जाएँगे।

"बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2027 को या उसके बाद–

क. सभी ढुलाई वाले ट्रैक्टरों और ट्रेलरों की यांत्रिक युग्मन प्रणाली (पाँचवाँ पहिया) समय-समय पर यथा संशोधित आईएस 8007:2024 (भाग 1 और 2) के अनुरूप होगी।"

[फा. सं. आरटी-11036/98/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

नोटः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार सा.का.नि...........(अ), दिनांकित .... द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2025

G.S.R. 485(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short title and commencement. — (1) these rules may be called as the Central Motor Vehicles (....Amendment) Rules, 2025.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

(i) Insertion of new sub-rules under Rule 125H:

After sub-rule (3) of rule 125H, the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(4) On or after 1st October, 2026, all haulage tractors shall be equipped with Vehicle Location Tracking Devices (VLTD) compliant with AIS-140.

(5)* The VLTD shall be integrated with an RFID transceiver conforming to IS 16722:2018, capable of reading RFID data from the coupled trailer and transmitting it to the backend.

(6)* All trailers shall be fitted with passive RFID tags in accordance with IS 16722:2018 to enable electronic identification and pairing with tractors.

(7) On or after 1st April, 2027, all haulage tractors shall be equipped with an Event Data Recorder (EDR) to capture and store critical vehicle data. The EDR shall be capable of recording parameters necessary for analysing operational events and enhancing safety monitoring."

*AIS 140 and IS 16722:2018 shall be suitably amended to incorporate the requirements for this application on or before 31-Dec-2025

(ii) In Rule 125D, the following proviso shall be inserted:

"Provided that on or after 1st October, 2026—

a. All trailers shall be fitted 13-pin or 13-pole connector as per IS 9895:2004.

"Provided that on or after 1st April, 2027-

a. The mechanical coupling system (fifth wheel) of all haulage tractors and trailers shall conform to IS 8007:2024 (Part 1 and 2), as amended from time to time."

[F. No. RT-11036/98/2025 -MVL]
MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R. .....(E) dated the ....

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.07.23 11:51:27 +05'30'